न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 66/2012 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2012/00028

1. जगदीश पुत्र मंगतुराम, जाति मेहतर, निवासी शिवबाड़ी, तहसील बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र हरीनारायण, जाति मेहतर, निवासी शिवबड़ी तहसील बीकानेर।
2. गुलाबचंद पुत्र मेघराज, जाति मेहतर, निवासी शिवबाड़ी, तह. बीकानेर।
3. राकेश कुमार पुत्र पुनमचंद, जाति मेहतर, निवासी शिवबाड़ी, तहसील बीकानेर।
4. इंद्रादेवी पुत्री मंगतूराम, पत्नी पृथ्वीराज, जाति मेहतर, निवासी पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः श्री संतनाथ — अभिभाषक अपीलांट
श्री भेरूरतन — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3,4

निर्णय

दिनांक 15.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के निर्णय दिनांक 16.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट के पिता ने ग्राम शिवबाड़ी के खसरा नंबर 134 की तादादी 15 वीघा भूमि में से अपने हिस्से की भूमि रजिस्टर्ड वसीयत 26.05.2006 को अपीलांट के हक में की थी। अपीलांट ने उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार बीकानेर ने अपीलांट का प्रार्थना–पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त कृषि भूमि मंगतूराम की स्वअर्जित भूमि नही है, पैतृक भूमि हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर के आदेश दिनांक 16.07.2012 जिससे

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया उससे व्यथित होकर अपीलाट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि खसरा नंबर 134 तादादी 15 बीघा भूमि में से अपने हिस्से की भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत 26.05.2006 को अपीलांट के हक मे की थी। उक्त वसीयत को रेस्पोडेन्ट भी निष्पादन होना स्वीकार करते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना–पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिय कि उक्त कृषि भूमि मंगतूराम की स्वअर्जित भूमि नही है, पैतृक भूमि हैं। इस कारण वसीयत के आधार पर दर्ज नही किया जा सकता है। उक्त विवेचन अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से निर्णित किया है जबकि मंगतूराम अपने हक व हिस्से की भूमि को विक्रय, गिफट व वसीयत किसी भी प्रकार से हस्तानांतरण कर सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने गलत रूप से विरोध किया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने वसीयत के निष्पादन को अपीलांट के हक में स्वीकार किया है और विरोध का कारण मात्र पैतृक भूमि का आधार बताया है जो गलत हैं और इस आधार पर सही मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह साबित किया था कि मंगतूराम ने अपने हक व हिस्से में आई भूमि की वसीयत की है जो उसे करने का अधिकार था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.07.2012 निरस्त फरमाया जावें। अपीलांट का वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र मंजूर फरमाया जावे।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि खसरा नंबर 134 तादादी 15 बीघा भूमि में से अपने हक की भूमि की वसीयत मंगतूराम ने दिनांक 26.05.2006 को अपीलांट के हक मे कर दी थी। मंगतूराम के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग व खातेदार के रूप में भूमि अंकन थी मंगतूराम को उक्त भूमि को रहनबैय, गिफट् व वसीयत करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। अधीनस्थ न्यायालय ने आपसी मतभेद होने के कारण पैतृक भूमि मानकर वसीयत के आधार पर दिनांक 16.07.2012 को इंतकाल अपीलांट के हक में स्वीकृत नहीं है जो तहसीलदार, बीकानेर का आदेश निरस्त करने योग्य है। मंगतूराम को उक्त भूमि पर पूरे अधिकार निहित हो चुके थे मंगतूराम को वसीयत करने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त था। मंगतूरा म ने अपनी स्वेच्छा से वसीयत अपीलाट के हक में निष्पादित की थी जिसे हम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोडेनट स्वीकार करते है उक्त वसीयत कानूनी रूप से मंगतूराम को करने का अधिकार प्राप्त था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.07.2012 को निरस्त फरमाया जावें। रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 26.05.2006 के आधार प अपीलांट के हक में इंतकाल दर्ज किया जावें तो हम रेस्पोडेन्ट को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा ऐतराज नही है।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं दौराने बहस एवं लिखित बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 16.07.2012 को वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना—पत्र खारिज कर दिया। अपीलांट के पिता मंगतूराम ने ग्राम शिवबाड़ी के खसरा नंबर 134 तादादी 15 बीघा भूमि में से अपने हिस्से की भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत 26.05.2006 को अपीलांट के हक में की गई थी। मंगतूराम ने अपनी स्वेच्छा से वसीयत अपीलांट जगदीश के हक में निष्पादित की थी जिसे रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी लिखित बहस में स्वीकार किया है कि मंगतूराम को उक्त वादगत भूमि के पूरे अधिकार निहित हो चुके थे, मंगतूराम को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2012 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर